न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-86RAAJodhpur2022-27RTA223 Tulasi Vs Bhanwarlal etc

श्रीमती तुलसी पत्नी लूणाराम, जाति छीपा, निवासी- ग्राम मोटाई, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. भंवरलाल पुत्र रामूराम जाति- छीपा, निवासी- गांव मोटाई, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
2. सुआदेवी पुत्री रामूराम जाति छीपा, निवासी- ढेलाणा, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
3. चन्दा बाई पुत्री रामूराम, पत्नी माधुराम के कायम मुकाम-
   3.1. जसराज पुत्र चन्दावाई पत्नी माधुराम छीपा
   3.2. गोपाल पुत्र चन्दावाई पत्नी माधुराम छीपा जरिये संरक्षक श्रीमती सुखीदेवी पत्नी पैमाराम छीपा, निवासी- आदर्श स्कूल के पीछे, शिव बाग, पोकरण, जिला जैसलमेर।
4. सुखीदेवी पत्नी श्री पेमाराम पुत्री रामुराम छीपा, निवासी- आदर्श स्कूल के पीछे शिव बाग, पोकरण, जिला जैसलमेर।
5. श्रीमती रुक्मणी पुत्री रामुराम फौत के कायम मुकाम-
   5.1. विनोद पुत्र रुक्मणी व प्रवीण जी छीपा
   5.2. शिवलाल पुत्र रुक्मणी व प्रवीण छीपा
   5.3. गोविन्द पुत्र रुक्मणी व प्रवीण जी जातियान् छीपा सभी नाबालिग जरिये कुदरती वलि पति प्रवीण कुमार पुत्र रुगनाथ जाति छीपा, निवासी- नितोड़ा तहसील पींडवाड़ा, जिला सिरोही।
6. लूणाराम पुत्र रामूराम के कायम मुकामः -
   6.1. गोरधनराम पुत्र लूणाराम
   6.2. देवकी पुत्री लूणाराम
   6.3. धापू पुत्री लूणाराम
   6.4. अर्चना पुत्री लूणाराम
   6.5. लक्ष्मणराम पुत्र लूणाराम
   6.6. सीमा पुत्री लूणाराम

   सभी जातियान् छीपा, निवासीगण- मोटाई तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

7. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा ननेउ, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
8. श्रीमान् तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 जनवरी 2021 सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 80/2018 भंवरलाल बनाम तुलसी इत्यादि

उपस्थित-

श्री किशनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री गिरधरसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6/1 से 6/5

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 08

नि र्ण य

दिनांक : 25 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 80/2018 अनवान भंवरलाल बनाम तुलसी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 जनवरी 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 08 मार्च 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलार्थीनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 53 रकबा 67. 18 बीघा ग्राम बालासर तहसील फलोदी के संबंध में धारा 88, 188, 53, 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वाद को प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 53 रकबा 271 बीघा 10 बिस्वा मूल रूप से कबू पुत्र करणा के खातेदारी की भूमि थी। कबू पुत्र करणा द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित भूमि अपने चार पुत्रों रामू, गुमाना, अमरा एवं पुखिया को जरिये बख्शीशनामा देकर अलग-अलग बंटवाड़ा करवाकर उनके नाम से म्यूटेशन भरवाकर राजस्व रेकर्ड में अलग-अलग दर्ज करवा दी। खेत खसरा नं. 53 रकबा 67.18 बीघा व खसरा नं. 54 रकबा 11.11 बीघा भूमि रामूराम पुत्र कबूराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। रामूराम द्वारा दिनांक 10.06.2016 को जरिये बख्शीशनामा खसरा नं. 53 में सें 40 बीघा भूमि तुलसी पत्नी लूणाराम के नाम करवा दी जो बख्शीशनामा सब रजिस्ट्रार घंटियाली में दिनांक 10.06.2016 को रजिस्टर्ड करवाया गया। उक्त बख्शीशनामा की पालना में में अपीलार्थीनी के नाम राजस्व रेकर्ड में 40 बीघा भूमि दर्ज की गई। तत्पश्चात अपीलार्थीनी द्वारा उक्त भूमि पर आर.एम.जी.बी. बैंक से ऋण लिया गया, जिसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 268 के जरिये भूमि आज भी रहन दर्ज है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्से की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा था। विचारण न्यायालय में पत्रावली तामील में विचाराधीन चल रही थी तथा आगामी पेशी दिनांक 10.02. 2021 नियत थी। विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रार्थना पत्र के ही पत्रावली को तलब कर राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जबकि गांव के मौजिज व्यक्तियों के सामने दिनांक 27.12.2020 को जो राजीनामा हुआ था, उसमें बख्शीश नामा के अलावा जो भूमि थी, उस शेष भूमि का राजीनामा किया गया था, किंतु रेस्पोडेंट संख्या एक के द्वारा छल-कपट व धोखे से फर्जी राजीनामा पेश कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय को गुमराह करते हुए संपूर्ण भूमि का 1/2 हिस्सा अपने नाम तथा 1/2 हिस्सा लूणाराम के नाम दर्ज करवा लिया। विचारण न्यायालय द्वारा भी वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक की इस्तदुआ से परे जाकर विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो अपास्त योग्य है। वादी द्वारा अपने वाद में अपने 1/6 हिस्से की घोषणा के साथ विभाजन का अनुतोष भी चाहा गया था, किंतु बिना किसी अमेंडमेंट के फर्जी राजीनामा के आधार पर मामले में प्राथमिक डिक्री जारी न कर सीधे ही मामले का अंतिम निस्तारण कर दिया गया। मूल वाद में प्रतिवादी संख्या तीन का देहांत हो जाने के कारण उसके कायम मुकाम संख्या 3/1 व 3/2 के फर्जी तरीके से उनकी मासी सुखीदेवी पुत्री रामुराम पति पैमाराम को फर्जी तरीके से संशोधित वाद शीर्षक में प्राकृतिक संरक्षक बनाया गया, जबकि नियमानुसार मासी को प्राकृतिक संरक्षक नहीं बनाया जा सकता है। विचारण न्यायालय में अपीलार्थीनी के फर्जी अंगुष्ठ निशान लगाया जाकर राजीनामा पेश किया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामा को तस्दीक भी नहीं किया गया। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट संख्या दो की ओर से कोई दावा भी नहीं था, फिर भी उसे वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलार्थीनी को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। हाल में ही दिनांक 25.02.2022 को जमाबंदी की सत्यप्रति लेने पर जमाबंदी में खसरा नं. 53 पर न्यायालय आदेश का हवाला आने के कारण अपने अधिवक्ता के पास जाकर पूछताछ करने पर अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम दिनांक 25.02.2022 को जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलार्थीनी को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलार्थीनी द्वारा अपने अधिवक्ता से राय लेकर जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 जनवरी 2021 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा पर अपीलार्थीनी की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है, जिससे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलार्थीनी को शुरूआत से ही रही है। फिर भी न्याय हित में विलंब पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर मामले के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थीनी सहित अन्य पक्षकारान् द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा प्रस्तुत कर माफिक राजीनामा खसरा नंबर 53 रकबा 67.18 बीघा एवं खसरा नं. 54 रकबा 11.11 बीघा भूमि में वादी भंवरलाल पुत्र रामूराम एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिवादी लूणाराम पुत्र रामूराम के हिस्से में 1/2 - 1/2 हिस्सा रखा जाना स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.01.2021 पर अपीलार्थीनी एवं अन्य पक्षकारान् के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान मौजूद है तथा उनकी पहचान संबंधित अधिवक्तागण की द्वारा किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजीनामा उभय पक्ष को पढकर सुनाये जाने पर अपीलार्थीनी सहित उभय पक्ष द्वारा राजीनामा सही होना मानकर स्वीकार किया गया है। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा माफिक राजीनामा वाद स्वीकार कर वादी भंवरलाल को वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी लूणाराम को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना पाया जाता है।

अपीलार्थीनी का उज्र है कि राजीनामा बख्शीश की गई भूमि को छोड़कर शेष भूमि के संबंध में किया गया है। इस संबंध में राजीनामा के अवलोकन से प्रकट होता है कि इस तरह के किसी तथ्य को अंकन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा में नहीं है। लिहाजा अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है। जहां तक अपीलार्थीनी का उज्र है कि प्रतिवादीनी संख्या तीन के वारिसान् का प्राकृतिक संरक्षक उनकी मासी सुखीदेवी का बनाया गया है। इस संबंध में प्रतिवादीनी संख्या तीन के वारिसान् की ओर से कोई उज्र पेश नहीं किये जाने से अपीलार्थीनी का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर उभय पक्ष की पहचान सुनिश्चित करते हुए तथा उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजीनामा अनुसार विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। कानूनन राजीनामा से पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 80/2018 अनवान भंवरलाल बनाम तुलसी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 जनवरी 2021 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

वइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-86RAAJodhpur2022-27RTA223 Tulasi Vs Bhanwarlal etc

अपीलाण्ट		**रेस्पोडेण्ट**
श्रीमती तुलसी पत्नी लूणाराम, जाति छीपा, निवासी- ग्राम मोटाई, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।	**बनाम**	1. भंवरलाल पुत्र रामूराम जाति- छीपा, निवासी- गांव मोटाई, तहसील फलोदी, जिला फलोदी। 2. सुआदेवी पुत्री रामूराम जाति छीपा, निवासी- ढेलाणा, तहसील फलोदी, जिला फलोदी। 3. चन्दा वाई पुत्री रामूराम, पत्नी माधुराम के कायम मुकाम- 3.1. जसराज पुत्र चन्दावाई पत्नी माधुराम छीपा 3.2. गोपाल पुत्र चन्दावाई पत्नी माधुराम छीपा जरिये संरक्षक श्रीमती सुखीदेवी पत्नी पैमाराम छीपा, निवासी- आदर्श स्कूल के पीछे, शिव वाग, पोकरण, जिला जैसलमेर। 4. सुखीदेवी पत्नी श्री पेमाराम पुत्री रामुराम छीपा, निवासी- आदर्श स्कूल के पीछे शिव वाग, पोकरण, जिला जैसलमेर। 5. श्रीमती रुकमणी पुत्री रामुराम फौत के कायम मुकाम- 5.1. विनोद पुत्र रुकमणी व प्रवीण जी छीपा 5.2. शिवलाल पुत्र रुकमणी व प्रवीण छीपा 5.3. गोविन्द पुत्र रुकमणी व प्रवीण जी जातियान् छीपा सभी नाबालिग जरिये कुदरती वलि पति प्रवीण कुमार पुत्र रुगनाथ जाति छीपा, निवासी- नितोड़ा तहसील पींडवाड़ा, जिला सिरोही।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

6. लूणाराम पुत्र रामूराम के कायम मुकामः -
   6.1. गोरधनराम पुत्र लूणाराम
   6.2. देवकी पुत्री लूणाराम
   6.3. धापू पुत्री लूणाराम
   6.4. अर्चना पुत्री लूणाराम
   6.5. लक्ष्मणराम पुत्र लूणाराम
   6.6. सीमा पुत्री लूणाराम

   सभी जातियान् छीपा, निवासीगण-मोटाई तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

7. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा ननेउ, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
   श्रीमान् तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 20 अक्टूबर 2022 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 52/2021 मुकेश व्यास बनाम नाथूसिंह इत्यादि

दावा बावत **अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 जनवरी 2021 सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 80/2018 भंवरलाल बनाम तुलसी इत्यादि**

यह अपील बतारीख 25 फरवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री किसनाराम विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री गिरधरसिंह भाटी अधिवक्ता रैस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 80/2018 अनवान भंवरलाल बनाम तुलसी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12 जनवरी 2021 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्व तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 25 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील	/	1. स्टाम्प वकलातनामा	/

2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान		2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर